न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

मु.न. 144 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास

बनाम

अवतार सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी सैंसवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

—— अप्रार्थी

——

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

——

आदेश

दिनांक 25.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम सैंसवास के भूमि ख0न0 309 / 120 रकबा 14.62 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.03 हैक्टर अवतार सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी सैंसवास ने बाड़ कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह / जोहड़ पर अतिक्रमण नही कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिकमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 309 / 120 रकबा 14.62 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.03 हैक्टर में बाड़ करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 30 /–रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. चारागाह पर बाड़ को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सुरेन्द्र भास्कर)
तहसीलदार मंडावा
जिला झुंझुनू।

तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं

[illegible] 4 के पृष्ठ संख्या 93 पर राशि 30 रू वर्ष 25-26 में मांग कायम की।

तहसील राजस्व लेखाकार